न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 17/2018
किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 08.07.2019

1. फूलसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
2. रमनसिह पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
3. विजयसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई

प्रार्थीगण

बनाम

1. भग्गो पत्नि विजयसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
2. राजवती पत्नि नाहरसिह जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री अशोक कुमार

श्री भगवानसिंह फौजदार एडवोकेट

निर्णय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जो सभी पक्षकारान के मध्य वाद लडने योग्य है।
2. यह है कि आराजी खसरा न 113 रकवा 0.05 है. व 111 रकवा 0.14 है. वाके ग्राम बहरामदा तहसील नदबई स्थित है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 की आराजीयात खसरा न. 111 प्रार्थीगण के खातेदारी का रकवा है व खसरा न. 113 गैरसायलान की खातेदारी का रकवा है। दोनों नम्बरान चिपटेमा हैं, तथा प्रार्थीगण ने खसरा न. 111 के निकलने के लिये खसरा न. 113 में से होकर एक ही मात्र रास्ता प्रार्थीगण के पास है मौके पर आराजी खसरा न. 113 में होकर प्रार्थीगण के खसरा न. 111 के लिये रास्ता मौके पर कायम है जो एक मात्र रास्ता है जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने कृषि कार्य हेतु अपने कृषियंत्र लाते व ले जाते हैं तथा बुबाई व जुताई तथा सिचांई आदि कार्य करते है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक कोई रास्ता नही है जिससे प्रार्थीगण कोई कार्य कर सके। प्रार्थीगण के प्रमुख व्यवसाय कृषि है जिसके आधार पर प्रार्थीगण अपनी जीवकोपार्जन करता है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जो खसरा न. 113 के खातेदार हैं। उक्त कायम मौके के रास्ते को अवरोध करने के लिये मात्र रास्ते को बन्द करने के लिये अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में जबर्दस्ती नींव खोदकर निर्माण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को सख्त तकलीफ है।

उप खण्ड अधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

4. यह है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 13.09.2018 को यह धमकी दी है कि वे प्रार्थीगण के कृषि प्रयोजन हेतु मौके पर कायम एकमात्र रास्ते को अवरूद्ध करने के लिये खसरा न. 113 में निर्माण कार्य करेंगे प्रार्थीगण के एक मात्र रास्ते को बन्द कर देंगे। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अगर अप्रार्थीगण अपनी दी हुयी धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद न हो सकेगी। इसलिये प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से इस कदर पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के एक मात्र रास्ते खसरा न. 113 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, व रास्ता अवरूद्ध नहीं करे व ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रार्थीगण के हक व हकूकों पर जवाल आवे।
5. अतःप्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित खसरा न. 113 में से खसरा न. 111 को जाने के लिये कृषि प्रयोजनार्थ मौके पर कायमी रास्ते अनुसार नियमानुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जावे, तथा तदानुसार हाल रिकॉर्ड मे व नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम किया जावे तथा अप्रार्थीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबद किया जावे कि वह खसरा न. 113 में कोई निर्माण न करे, व रास्ता जो कि खसरा न. 111 के लिये है उसे बंद न करे।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) आरटीए के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्रीभगवानसिंह फौजदार उपस्थित हुये। शेष अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। जिसमें वर्णित किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य गांव में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समझाने व बुझाने से आपस में राजीनामा हो गया है तथा आराजी खसरा न. 111 वाके ग्राम बहरामदा जो प्रार्थीगण की खातेदारी का रकवा है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी का रकवा है। दोनों नम्बरान चिपटेमा है तथा प्रार्थीगण के खसरा न. 111 के निकलने के लिये खसरा न. 113 मे से होकर कृषि कार्य के लिये जाने के लिये एक मात्र रास्ता है जो सम्मिलित रास्ता रहेगा तथा मौके पर भी आराजी खसरा न. 113 में से होकर ही प्रार्थीगण के खसरा न. 111 के लिये रास्ता मौके पर कायम रहेगा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उक्त आवागमन के रास्ते में कोई उज्र आपत्ति नहीं करेंगे तथा रास्ता 10 फीट चौडा रहेगा। खसरा न. 113 जो अप्रार्थीगण का खातेदारी का है में भविष्य में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लिहाजा यह राजीनामा पूर्ण होशहवाश में बिना नशापात किये स्वस्थ्य चित्त चैतन्य अवस्था में बिना किसी भय व दबाब में लिख दिया गया है। उक्त राजीनामा दिनांक 27.02.2019 को लिखा जाकर पेश किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र मय अधिवक्ता श्री भगवानसिंह फौजदार द्वारा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का खसरा न. 111 अप्रार्थी के खसरा न. 113 से लगा हुआ नहीं है तथा खसरा न. 113 में होकर किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण का खेत अप्रार्थीगण के बजाय विज्जो व बच्चू के खेत से मिला हुआ है जिसमे उसके

उप खण्ड अधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

मकान बने हुये हैं। अप्रार्थीगण के खसरा न. 113 की चारों ओर से पुख्ता बाउन्ड्री हो रही है व पक्का घेर खिंचा हुआ है, जो नौहरे के काम में आ रहा है जिसमें होकर रास्ता निकालने का कोई प्रश्न नहीं है तथा प्रार्थीगण का रकवा गांव की आबादी से मिला है और वह गांव में होकर ही अपने रकवा को आते जाते हैं। प्रार्थीगण का यह कथन है कि खसरा न. 113 में होकर आते जाते हैं। यह कथन असत्य व बेबुनियाद है बल्कि वह गांव की आबादी में लगे हुये अपने अन्य खेतों में आते जाते हैं जो कि आज भी मौजूद है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के खेत से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही अप्रार्थीगण ने दिनांक 13.09.2018 को कोई धमकी दी हैं सारे तथ्य असत्य व मनगढंत हैं। हम अप्रार्थीगण का नौहरा चारों ओर से बाउन्ड्रीशुदा है जिसमें मौके पर गेट लगे हुये हैं किसी तरह का कोई रास्ता आदि नहीं है न ही उसे इस तरह रास्ता लेने का कोई अधिकार है। यदि प्रार्थीगण का खेत सामान्यतः अप्रार्थीगण के खेत से लगा हुआ होता तब ही वह रास्ता ले सकते हैं। बल्कि उनका खेत अप्रार्थीगण के खेत के सीध में नहीं है तथा जो खेत सीध में थे उनके मकान बन चुके हैं तथा इसी जमीन का एक दावा दीवानी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार के द्वारा मौखिक आपत्ति पेश की गयी। उक्त आपत्ति पर उभय पक्षकारानों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गयी तथा बहस में अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने कहा कि जो राजीनामा पेश किया गया है वह प्रार्थीगण के समर्थन में पेश किया गया है। अतः राजीनामा के पश्चात पुनः जबाब पेश नहीं किया जा सकता।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया तथा बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा जो जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह न्याय हित में लिया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आपत्ति खारिज की गयी।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में फूलसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा व रमन पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा तथा विक्रम पुत्र मुंशी जाति जाट निवासी बहरामदा के बयान पेश किये गये, तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मुकदमा उनवान फूलसिंह बनाम भग्गो मुकदमा न. 90/2018 व नकल जमाबंदी संबत 2074–77 व नकल नक्शा ट्रेस वाके ग्राम बहरामदा, नकल स्टाम्प गायत्री पत्नि जसवंत सिंह जाति जाट निवासी बहरामदा, नकल जमाबंदी संबत 2062 से 65 तथा नकल जमाबंदी संबत 2060 वाके ग्राम बहरामदा पेश की गयीं।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब नकल आदेशिका दिनांक 23.08.2019 व 30.05.2019 मुकदमा भग्गो बनाम विजयसिंह वगैरा मुकदमा सं. 17/2019 न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल

उप खण्ड अधिकारी
भरतपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

न्यायाधीश महोदय नदबई भरतपुर तथा नकल दावा मुकदमा भग्गो बनाम विजयसिंह न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई पेश किये गये।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री भगवानसिंह फौजदार के द्वारा बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आरटीए पर सुनी गयी।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खसरा न. 111 पर जाने हेतु प्रार्थी के पास एक मात्र रास्ता खसरा न. 113 में से होकर है, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध किया जा रहा है। यदि अप्रार्थीगण खसरा न. 113 में होकर निकल रहे रास्ते को अवरूद्ध करने में सफल रहे तो प्रार्थी को अपने खसरा न. 111 में कृषि कार्य से वंचित होना पडेगा। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी को खसरा न. 111 में जाने हेतु खसरा न. 113 में से होकर रास्ता दिया जावे। इस बाबत अप्रार्थीगण पूर्व में एक राजीनामा प्रस्तुत कर चुके हैं, एवं स्वयं अप्रार्थीगण ने माना है कि अप्रार्थी के पास खसरा न. 111 में जाने के लिये एक मात्र रास्ता 113 में से होकर है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री भगवानसिंह फौजदार ने बहस की एवं अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा न. 111 व 113 में मकान आदि बने हुये अतः भूमि आबादी भूमि में आती है, इसलिये आबादी भूमि पर किसी प्रकार का वाद विचारण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय का है। साथ ही विवादित आराजी बाबत न्यायालय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। विवादित आराजी के बाबत् मौका रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी वकील ने अपनी रिपीटल में कहा कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है इसलिये राजस्व न्यायालय को सुनवायी का पूर्ण अधिकार है एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन में कोई स्थगन आदेश नहीं हैं। प्रार्थी वकील ने आगे कहा कि वर्तमान में अप्रार्थीगण खसरा न. 113 में से होकर निकल रहे रास्ता जिससे प्रार्थी खसरा न. 111 में जाता है रास्ते पर गेट लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर रहा है। अंत में प्रार्थी द्वारा पुनः खसरा न. 113 में से होकर 10 फीट चौडा रास्ता खसरा न. 111 तक पहुंचने हेतु देने का निवेदन किया तथा प्रार्थी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्न नजीर प्रस्तुत की :-

1. राजस्व मण्डल अजमेर की आरआरटी 2017(2) पेज 980 हरिराम बनाम संजन कंवर वगैरा
2. राजस्व मण्डल अजमेर की आरआरटी 2018 (1) पेज 706 मेहरा चौधरी बनाम पृथ्वीराज पुरोहित वगैरा पेश की गयी।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए , लिखित साक्ष्य हेतु प्रस्तुत दस्तावेजो एवं मौखिक साक्ष्य हेतु प्रस्तुत गवाहो के शपथ पत्र व प्रार्थी वकील द्वारा की गई बहस तथा अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, जबाब, प्रार्थना पत्र , साक्ष्य हेतु प्रस्तुत दस्तोवज व शपथ पत्र गवाह विद्वान वकील द्वारा की गई बहस पर अवलोकन व मनन किया एवम धारा 251 ए राज0काश्त0 अधिनियम के प्रावधानो का

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया गया एवम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि विवादित भूमि आराजी ख0न0 11 व 113 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है अतः राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार प्राप्त है साथ ही सिविल न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण धारा 251 ए के अन्तर्गत विचाराधीन नही है एवंम न ही प्रकरण मे स्थगन आदेश दिया गया है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया जा चुका है। अतः तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। अतः हम प्रार्थना पत्र को राज. काश्तकारी

अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो पर परीक्षण करना उचित समझते है धारा251 ए के प्रावधान इस प्रकार है।:–

(251)क. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विघमान माग का विस्तार करना– (1) जहां

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारी का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचॉने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे होकर एक या एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विघमान मार्ग विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।–

और मामला पारस्पारिक सहमति से तैय नही होता है तो ऐसी अभिधारीया, यथास्थिति,ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सुबंधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि

(1) यह आवश्यकता आत्येतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है।

(2) अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।

हमने राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 251(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :–

(1) अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (ख)(i) के अनुसार प्रार्थी को खसरा न. 111 पर पहुचने के लिये खसरा न. 113 में से होकर रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। यह केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी द्वारा स्वयं दिनांक 27.02.19 को प्रस्तुत राजीनामा में स्वीकार किया है कि प्रार्थी के पास खसरा न. 111 में पहुचने के लिये एक मात्र रास्ता खसरा न. 113 में से होकर ही है क्यांकि खसरा न. 111 के सामने स्थित खसरा न. 112 में मकान बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से साबित है कि खसरा न. 113 में से होकर रास्ता ही खसरा न. 111 के लिये लघुतम व निकटतम मार्ग है।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

(2) प्रार्थी को खसरा न. 111 पर पहुंचने के लिये खसरा न. 113 के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य को अपने राजीनामा में स्वीकार किया है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से भी बखूबी साबित है।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार नदबई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी को खसरा न. 111 में पहुंचने हेतु खसरा न. 113 में से होकर निकटतम व लघुतम मार्ग निर्धारित कर 10 फीट चौडा रास्ता कायम करे एवं कायम किये गये रास्ते की डीएलसी का दोगुना मूल्य की गणना करे तथा प्रार्थी से उक्त राशि अप्रार्थी को अदा करवाते हुये रास्ता भूअभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड में किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.19 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज०

(विनोद कुमार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, नदबई
उपखण्ड अधिकारी नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner